BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 05 मई, 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र महीपाल निवासी ग्राम नंगला किशन थाना अमापुर जनपद कासगंज द्वारा थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी नाबालिक बच्ची उम्र-05 वर्ष के साथ दुष्कर्म के प्रयास की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07-10-2015 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 1066/15 धारा- 376, 511 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 07-12-2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 05.05.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त लोकेन्द्र को 07 वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री वरुण कौशिक, श्री भरत शर्मा व महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर